

सामान्य शर्तें GENERAL CONDITIONS

1. केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं। Only Indian Nationals are eligible to apply.
2. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के समाप्त होने तक एक वैध एवं सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर रखें। एक बार पंजीकृत होने के बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बदलने की अनुमति नहीं होगी। एनपीसीआईएल द्वारा पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से ही लिखित परीक्षा/साक्षात्कार आदि हेतु सूचना/कॉल लेटर भेजा जाएगा तथा अभ्यर्थी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी भेजा जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर ट्राई एनपीसीआईएल सूची (पहले डीएनडी कहा जाता था) में है, तो पंजीकरण से संबंधित अलर्ट (संदेश) उसे प्राप्त नहीं होंगे। Candidates are advised to have a valid and active personal e-mail ID & mobile number till the completion of selection process. No change in the email id and mobile number will be allowed once registered. NPCIL will send intimation only through the registered E-mail ID and SMS will also be sent to the mobile number given by the candidate. If the mobile number registered by the candidate is in the TRAI NCPR list (formerly called DND), candidate will not receive SMS alerts related to the registration.
3. अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व/ईडब्लूएस/ पीडब्ल्यूबीडी के आरक्षण संबंधी भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षु आबंध करने के संबंध में आदेश लागू होंगे। Govt. of India orders on reservation of SC/ST/OBC/EWS/PwBD as applicable for engagement of apprentices shall be followed.
4. प्रशिक्षण का स्थान तारापुर महाराष्ट्र स्थल, तारापुर परमाणु बिजलीघर, डाक:टीएपीपी वाया-बोईसर (पश्चिम रेलवे), तालुका एवं जिला:पालघर 401504 रहेगा। Placement of training shall be Tarapur Maharashtra Site, Tarapur Atomic Power Station, PO: TAPP via Boisar (W/Rly), Tal & District – Palghar 401504.
5. आबंध और प्रशिक्षण कार्यक्रम अप्रेंटिस एक्ट, 1961 और यथासंशोधित अप्रेंटिसशीप नियमावली, 1992 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के क्रम में हैं और प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षुओं को **रोजगार प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं है।** The engagement and training is strictly in compliance with the provisions of Apprentices Act, 1961 and apprenticeship Rules, 1992 and **there is no obligation to provide regular Employment** on completion of apprenticeship training.
6. प्रबंधन किसी विशेष ट्रेड में सीटों की संख्या निरस्त करने अथवा बदलने और यहां तक कि प्रशिक्षुओं के चयन की पूरी प्रक्रिया को ही बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। Management reserves the right to cancel or alter the number of seats of particular trade or even the entire process of engagement of apprentices without assigning any reason whatsoever.
7. प्रशिक्षु प्रशिक्षण की अवधि केवल एक वर्ष होगी। The period of Apprentice training will be for one year only.
8. अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करते समय जिला पुलिस प्राधिकारी से पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। The selected candidate has to produce a Police Verification Certificate from the District Police Authority.
9. चयनित शि्षुओ का नियोजन कॉर्पोरेशन की आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किए जाने निर्भर है। ऐसे सभी नियोजन भी कॉर्पोरेशन के संबंधित नियमो/नीतियो/दिशानिर्देशो पर निर्भर होंगे Engagement of selected apprentices is subject to his/her being declared medically fit as per the requirement of the Corporation. All such engagement will also be subject to all relevant Rules/policies/guidelines of the Corporation.
10. प्रशिक्षुता हेतु चयनित अभ्यर्थी उनके नियंत्रण परे कारण के सिवाय किसी अन्य वजह से प्रशिक्षण छोड़कर नहीं जा सकते। पूर्वनिर्दिष्ट ट्रेड में प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्ति को अप्रेंटिस एक्ट, 1961 और अप्रेंटिसशीप नियमावली, 1992 के अनुसार एनपीसीआईएल के साथ प्रशिक्षुता करारनामा करना पड़ेगा। यह करारनामा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर समाप्त होगा। प्रशिक्षुता करारनामे की समयपूर्व समाप्ति या विस्तार संबंधी विषय पर अप्रेंटिस एक्ट, 1961 और यथासंशोधित अप्रेंटिसशीप नियमावली, 1992 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहेंगे वे उनके प्रशिक्षण की पूर्ण लागत और केन्द्रीय प्रशिक्षुता सलाहकार द्वारा निर्धारित वृत्तिका के रूप में प्राप्त राशि लौटाने के लिए उत्तरदायी रहेंगे। Candidates selected for apprenticeship will not be allowed to withdraw from training, except for reasons, which are beyond their control. The person engaged to undergo apprentice training in a designated trade shall enter into a contract of apprenticeship with NPCIL as per the Apprentice Act, 1961 and Apprenticeship rules 1992. The contract of apprenticeship shall terminate on the expiry of the period of apprenticeship training. Any premature or extension of contract of apprenticeship shall be dealt as per the provisions of the Apprentices Act, 1961 and Apprenticeship rules 1992. Those who absent from traineeship are liable to refund the whole cost of their training as well as the amount received as stipend as determined by the Central Apprenticeship Advisor.

11. प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रत्येक प्रशिक्षु को उसकी पूर्वनिर्दिष्ट ट्रेड में प्रवीणता निर्धारित करने के लिए नैशनल कौंसिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा देनी होगी। परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही नैशनल कौंसिल द्वारा प्रवीणता का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। Every Apprentice who has completed the period of training will have to undergo a test to be conducted by the National Council for Training in Vocational trade to determine his/her proficiency in the designated trade. Only on passing the test, a certificate of Proficiency in the trade would be issued by the National Council.
12. प्रशिक्षुओं को कोई परिवहन/हॉस्टल सुविधा अथवा किसी भी रूप में आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। There is no provision for providing Transport/Hostel facility or any other form of residential accommodation to the apprentices.
13. एक से अधिक ट्रेड हेतु पात्र होने पर भी अभ्यर्थी केवल एक ही ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। Each candidate is required to submit only one application form and apply against not more than one trade, irrespective of number of trades eligible for.
14. तापबिघ संयंत्र स्थल के आस-पास के गांवों में रहनेवाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। Preference will be given to the applicants belonging to neighbouring villages around TAPS Plant Site.
15. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करने से पहले, अभ्यर्थी को आश्वस्त होना चाहिए कि वे जिस पद हेतु आवेदन कर रहे हैं, उससे संबंधित पद हेतु विवरण में दिए गए सभी आवश्यक पात्रता मानदंड पूरे करते हैं। यदि अभ्यर्थी पात्र नहीं है, तो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी पास हो जाता है और उसके बाद यह पाया जाता है कि वे पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा यदि नियुक्त कर लिया जाता है तो बिना किसी नोटिस या क्षतिपूर्ति के उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। Before submitting the online application form for apprenticeship, the candidates must ensure that they fulfill all the required eligibility criteria for the apprenticeship for which they are applying as detailed for the respective discipline. If the candidates are not eligible, their candidature will be cancelled at any stage. If the candidates engaged for apprenticeship and subsequently, it is found that they do not fulfill the eligibility criteria, their candidature will be cancelled and apprenticeship will be terminated without any notice or compensation.
16. अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को, ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने हेतु अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित 'केंद्रीय सरकार फॉर्मेट' में जारी प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां एवं उनकी स्व-सत्यापित प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होंगी। भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अपिव के केवल वे अभ्यर्थी ही आरक्षण पाने के पात्र होंगे जिनके प्रमाणपत्र में 'नॉन क्रीमीलेयर क्लॉज' होगी, यदि जाति प्रमाणपत्र में उल्लिखित जाति केंद्रीय सूची में दी गई है।
All candidates belonging to SC/ST/OBC/EWS/PwBD category shall produce self attested copy of the caste certificate in the prescribed 'Central Government' format from the Competent Authority empowered to issue such certificates along with originals for verification. OBC candidates with certificate having the "Non-Creamy Layer Clause" will only be eligible for reservation as per Government of India orders if the caste mentioned in caste certificate appears in the Central List.
17. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित फॉर्मेट में ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने हेतु अधिकृत सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। Economically Weaker Sections (EWSs) candidates should produce certificate from the Competent Authority empowered to issue such certificate in prescribed format.
18. ट्रेड शिक्षु के लिए पात्र उम्मीदवार अपने आप को वेब पोर्टल www.apprenticeshipindia.org के माध्यम से कौशल विकास एवं उद्यम-ज्ञान पर पंजीकृत या एनरोल कर लें एवं उक्त पंजीकरण संख्या अपने प्रपत्र पर दर्शाएं। [The eligible candidates for Trade Apprentice shall register/enrol themselves on Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for Apprenticeship Training through web-portal www.apprenticeshipindia.org and the registration number should be mentioned in the online application form.]